

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला - अलवर

वनाम शुक्ली नरहर सन्
 अहकाम (को) नं
 स्म मुकदमा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>28/11/14 को पेश हो।</p> <p>वादी के वकील/पुस्तकालय/वकीलों का कार्य समितित है। पेश किया गया दिनांक 16.12.14 को पेश हो।</p>	
28/12/14	<p>पत्रावली</p> <p>दिनांक 16.12.14 को पेश हो।</p>	
16/10/14	<p>पत्रावली</p> <p>दिनांक 9.12.14 को पेश हो।</p>	
9/12/14	<p>पत्रावली</p> <p>दिनांक 17.02 को पेश हो।</p>	
17/12/15	<p>पत्रावली</p> <p>दिनांक 24.3.15 को पेश हो।</p>	
24/3/15	<p>पत्रावली</p> <p>दिनांक 21.4.15 को पेश हो।</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहमद जारी
-------------	----------------------------------	-----------------------

20.11.23 पत्रावली पेश। P.O. साल... युनव
 कार्य मे है।
 पत्रावली दिनांक... 26/12/23 को पेश हो।
 [Signature]
 रीडर

26.12.23 ककीस वादी अनुपस्थित
 साविक आदेश दिनांक..... 31.3.22
 की पालना में पत्रावली का तलवी पदोच्छाद से अहिमोत्र
 दिनांक 15.1.24 को पेश हो।
 [Signature]
 उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर)

15.1.24 पत्रावली पेश। P.O. साल... अन्व
 कार्य मे है।
 पत्रावली दिनांक... 12/1/24 को पेश हो।
 [Signature]
 रीडर

12.2.2024 पत्रावली तस्तुत हुई। पत्रावली दीर्घवाचिसी प्रतिवाहीगण की तलवी में विचाराधीन है। तलवी हेतु प्रवेश तलखाना पेश करने के आशय से वादी के अनेक अवसर दिये गये। तथा अंतिम अवसर के रूप में भी अनेक अवसर प्रदान किये गये। इसके उपरोक्त तरी द्वारा भाड़िनोद तड पुनः तलखाना पेश किया नहीं किया है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 05 के पत्रावली के आलेख में पत्रावली को चलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 9 नियम 05 के आलेख में छापा खारिज किया जाता है पत्रावली प्रैलल शूअर होकर नम्बर से कम है। वाद तमिल तमिल वाचिन दफतर हो।
 [Signature]
 उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०